

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 22, सोमवार, श॥के 1947- जनवरी 12, 2026 Pausa 22, Monday, Saka 1947- January 12, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर
अधिसूचना

अलवर, अप्रेल 01, 2025

-: मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन आदेश :-

संख्या यूआईटी/आवंटन/भू.उप.परि./2025/31-34 1. श्री सुभाष चन्द भार्गव पुत्र श्री नवल किशोर 2. श्रीमती सुषमा भार्गव पत्नी श्री सुभाष भार्गव 3. श्री सौरभ भार्गव पुत्र श्री सुभाष चन्द भार्गव निवासी-3/414, काला कुंआ हा0 बोर्ड, जिला अलवर के द्वारा प्लॉट संख्या बी-273, बी-274 योजना वैशाली नगर जिसका क्षेत्रफल 791.52 वर्गमीटर है, का आवासीय से व्यावसायिक उपयोग चाहा गया है। वर्तमान में मास्टर प्लान-2051 के अनुसार आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार मिश्रित उपयोग दर्शाया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 09.01.25 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड को मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

उक्त भूखण्ड के मध्य भू उपयोग परिवर्तन राशि 4,05,258/-रु, आवासीय से व्यावसायिक एक मुश्त लीज लीज राशि 1,06,248/-रु, एन.सी.पी. शून्य एवं बी0एस0यू0पी0 शैल्टर फण्ड राशि 19,788/-रु कुल राशि 5,31,294/-रु जयें रसीद संख्या 3378/10 दिनांक 12.03.2025 एवं 3390/08 दिनांक 12.03.2025 के द्वारा न्यास कोष में जमा करा दिये गये हैं।

अतः राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन संशोधन नियम-2021 दिनांक 24.02.2021 के प्रावधान के अन्तर्गत भू-उपयोग नियंत्रण हेतु दिनांक 14.10.2024 को जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों के अनुसार मास्टर प्लान/जोनल प्लान में मुख्य सड़कों के दोनों ओर दर्शित पट्टी में एकल उपयोग प्रस्तावित होने पर मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय निम्न शर्तों के साथ किया जाता है।

01. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से संबंधित अधिसूचना दिनांक 28.10.2010 व दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
02. प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।
03. यह केवल मात्र आवेदित भूमि मिश्रित भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकृति, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व/वैधता एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
04. नगरीय विकास आवासन मण्डल एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधिसूचना क्रमांक प.11(8)नवि/2020 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा पट्टा/आवंटन शुदा भूखण्ड में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से भू-

- उपयोग परिवर्तन की देय राशि नियमानुसार जमा तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन के अनुसार लीजडीड/पूरक लीजडीड पंजीकरण कराया जावें।
05. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 अथवा साईट-प्लान के अनुसार जो भी अधिक हो, समस्त प्रावधान रखना होगा।
06. भूखण्ड पर प्रस्तावित उपयोग अनुसार न्यास से प्रचलित भवन निनियमों अनुसार सैंटबेक की सुनिश्चितता करते हुए भवन मानचित्र अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा एवं प्रवेश व निकास मुख्य सडक से ही अनुज्ञेय होंगे।
07. अन्य कोई देय शुल्क जमा होने से रह गया तो नियमानुसार जमा कराना होगा।
- सलंगन:-अनुमोदित साईट प्लान

सचिव,
स्नेहल धायगुडे नाना,
नगर विकास न्यास, अलवर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।